तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/12516/2004/दौसा लिखमी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

श्री अशोक मेघवंशी, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1

श्री के.एल.मीणा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3

निर्णय

दिनांक 18.10.2022

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-03/2003 बउनवानी श्रीमन व अन्य बनाम लिखमी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03-08-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण प्रार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर, महुआ के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 26 से 42 के हाल नक्शा ट्रेस में रास्ते की मौजूदा स्थिति को बदल कर साबिक खसरा नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दुरूस्त किये जाने तथा साबिक खसरा नम्बर 3/2, 3/3, 3/5 से 3/8, 3/10 एवं 3/11 के नक्शा ट्रेस के अनुसार मौजूदा नक्शा ट्रेस शीट में रास्ता तरमीम करने का अनुतोष चाहा। सहायक कलक्टर द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त विपक्षी अप्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण से जवाब तलब कर बाद साक्ष्य व सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 08-11-2001 से ग्राम बेरखेडा तहसील महुआ की आराजी खसरा नम्बर 3/2, 3/3, 3/10, 3/11 व 3/5 से 3/8, 3/10, 3/11 के मध्य होकर रास्तानुमा लाईन को नवीन नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बरान से बनाये गये नवीन खसरा नम्बरान के मध्य होकर तरमीम करने के आदेश तहसीलदार, महुवा को प्रदान किये। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3 ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03-08-2004 से स्वीकार कर सहायक कलक्टर, महुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-11-2001 को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/12516/2004/दौसा लिखमी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के खेतों के बीच पूर्व से कायम रास्ते के अंकन को भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नक्शा ट्रेस से विलुप्त किया गया है, जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना मानते हुए प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर नवीन खसरा नम्बरान के मध्य होकर तरमीम करने के आदेश तहसीलदार, महुवा को प्रदान किये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय से विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। तत्कालीन सहायक कलक्टर को भू-अभिलेख सम्बन्धी प्रकरणों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त थी। अतः अपीलार्थीगण की ओर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया किधारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते के विवाद का राजस्व रिकार्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता। सहायक कलक्टर को लैण्ड रिकार्ड आफिसर की शक्तियां प्राप्त नही होने के बावजूद भी धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की। सिविल न्यायालय द्वारा करवाई गयी मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 26-3-2002 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वहां पर मौजूद किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं है। प्रतिवादीगण के खेतों में होकर कभी भी पूर्व में एवं वर्तमान में कोई रास्ता कायम नहीं है, ना ही पूर्व के कोई राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम रहा है। अपीलार्थीगण का पूर्व से ही रास्ता नदी के किनारे से रहा है और नदी में से ही आते जाते रहे है। सहायक कलक्टर ने बिना किसी साक्ष्य के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के मध्य नक्शा ट्रेस में रास्ता होना और नये नक्शे ट्रेस में रास्ता नहीं होने का विवेचन करते हुए वादग्रस्त खसरा नम्बरान के मध्य रास्तानुमा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/12516/2004/दौसा लिखमी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	लाईन को नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश दिये गये थे और उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30-8-2004 से अपास्त किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि सहायक कलक्टर महुआ को धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम की शक्तियां प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17-9-1956 द्वारा केवल उपखण्ड अधिकारी को ही लैण्ड रिकार्ड आफिसर की शक्तियां प्रदान की गयी है, सहायक कलक्टर को लैण्ड रिकार्ड आफिसर की शक्तियां प्रदान नहीं की गयी है लेकिन इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19-3-1997 पेश किया गया और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, में यह उल्लेख किया गया है - **"राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15, 1956 की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 136 के तहत भू-अभिलेख अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग सहायक कलक्टर, महुआ जिला दौसा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किये जाने हेतु अधिकृत करती है।"** अर्थात सहायक कलक्टर, महुआ को भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गयी है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सहायक कलक्टर महुआ को लैण्ड रिकार्ड आफिसर के अधिकार नहीं थे और आदेश शून्य है, विधि विरूद्ध है और तथ्यों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह तर्क मानने योग्य है कि सहायक कलक्टर महुआ को भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत (1) केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ठीक करना (2) उभय पक्ष की सहमति से गलती को ठीक करना और (3) निरीक्षण के समय ध्यान में आने वाली गलतियों को प्रभावित पक्ष को सुनकर गलती को ठीक करना। यह तीन शक्तियां ही प्राप्त है, अन्य किसी प्रकार की शुद्धियां या परिवर्तन लैण्ड रिकार्ड आफिसर द्वारा धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती और इसलिए अपीलाधीन आदेश उक्त तीनों श्रेणियों में नहीं आने से धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के स्कोप के बाहर है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि भू-अभिलेख अधिकारी को विहित तरीके से लिपिकीय त्रुटियों को और हितबद्ध पक्षकारों की सहमति से और निरीक्षण के समय ध्यान में आने वाली गलतियों को दोनों पक्षों को सुनकर गलती ठीक की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/12516/2004/दौसा लिखमी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	जा सकती है। इस प्रकरण में रिकार्ड आफ राईटस अर्थात् किसी पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों में कोई शुद्धिकरण का मामला नहीं है बल्कि नक्शा ट्रेस सम्वत् 2018 में खसरा नम्बर 3/2, 3/3, 3/10, 3/11 दोहरी लाईन के उत्तर में और 3/5 से 3/8 दोहरी लाईन के दक्षिण में दर्शाये गये अर्थात् दोनों खसरा नम्बरान के बीच में रास्तानुमा दो लाईन दिखाई गयी है। वर्तमान नक्शा ट्रेस मे मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इन खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान बने है और नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये लेकिन इस नक्शा ट्रेस में कहीं भी रास्ता, पगडण्डी के रूप में जगह छोडी हुई नहीं है जबकि सेटलमैन्ट विभाग को प्रविष्टियों को दोहराने का ही अधिकार है किस कारण से उक्त नक्शे में दिखाई गयी दोहरी लाईन नहीं दर्शाई गयी और किसके आदेश से उक्त लाईन हटाई गयी है, कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि उक्त सभी खसरा नम्बरान की जमीन सिवाय चक में दर्ज होने के पश्चात् खातेदारों को आवंटित की गयी है और आवंटन के समय रास्ता भी दिया जाना सामान्य प्रक्रिया है। इस रास्ते को बन्द करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई डिक्री आदेश जारी नहीं किया गया हो। रास्ते के मामले में राजस्व रिकार्डधारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी रास्ते की भूमि दर्शाई गयी है उसे यथावत रखना चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और रास्ता कायम ही रहना चाहिए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते का विवाद या राजस्व रिकार्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता लेकिन उक्त निष्कर्ष इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार विधिसम्मत् नहीं है। यह सही है कि धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का सीमित क्षेत्राधिकार है और रास्ते के सम्बन्ध में विवाद धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं वर्तमान में धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निपटाने के प्रावधान किये गये है। मौजूदा प्रकरण में विवाद रास्ता का नहीं है बल्कि नक्शा ट्रेस में दोहरी लाईन की जगह हटाने का है। अर्थात् नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण का मामला है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत् नहीं है। चूंकि पूराने नक्शे में ओर वर्तमान वर्तमान में जो दोहरी लाईन का रास्तानुमा लाईन का विवाद है और राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उसका कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं किया गया है लेकिन यह भी सही है कि बन्दोबस्त विभाग को नया रास्ता बनने अथवा हटाने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु लम्बी अवधि के कारण से किस खातेदार पडौसी ने रास्ता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/12516/2004/दौसा लिखमी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	दबाया है, यह तथ्य अभिलेख पर नहीं है, इसलिए इस दोहरी लाईन की जमीन के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट ली जाकर और मौके की भौतिक रिपोर्ट लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना उचित है। परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या–3/2003 बउनवानी श्रीमन व अन्य बनाम लिखमी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03–08–2004 अपास्त किया जाता है और सहायक कलक्टर, महुआ द्वारा प्रकरण संख्या 106/2001 बउनवानी लिखमी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 8–1–2001 को संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बरान के मौजूदा खाते का नाप करवा कर, आवंटन से अधिक रकबे पर काबिज व्यक्ति को हटाकर और नवीन मौका रिपोर्ट, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बरान के मध्य में नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	